संख्या-4/2018/आ0मि054/96-आयुष-2-2018-134/2017

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 जनवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत एवं अवशेष धनराशि का उपयोग जनपद बरेली में 50 शैय्यायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-110/08/मि0नि0/2017-18दिनांक 22/06/2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत एवं अवशेष धनराशि का उपयोग जनपद बरेली में 50 शैय्यायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये जाने हेतु रू0 684.35 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 342.175 लाख (रूपया तीन करोड. बयालीस लाख सतरह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1. विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
2. विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजना का आगणन अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद बरेली द्वारा तैयार किया गया है, जो मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ द्वारा संस्तुत तथा सचिव,आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।
5. प्रायोजना प्रस्ताव के सन्दर्भ में राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए रूप रेखा एवं प्रचालन दिशा निर्देश में 50 विस्तरों वाले एकीकृत अस्पताल के लिए भवन विशिष्टता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. प्रायोजना में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं कार्यमदें राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप किया गया है। इसे मिशन निदेशक/विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजना का वित्त पोषण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत एवं अवशेष धनराशि का उपयोग वर्ष 2017-18 में किये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त चिकित्सालय प्रश्नगत योजना की प्रथत किस्त निर्गत की जायेगी।
8. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर एवं स्पिलिट ए0सी0 की लागत का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोपराइट्री श्रेणी के कार्य है एवं इनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नही होते हैं। तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
9. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 01-09-2015 की कुर्सी क्षेत्र दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलत नहीं है, उनकी लागत बाजार दर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभाव का स्पष्ट मत है कि विभाग द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
10. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजन का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
12. प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्त (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है। उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
14. प्र0वि0 द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।
17. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त् धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के आधार पर ही प्रश्नगत निर्माण कार्य उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा कराया जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव

संख्या-4/2018/आ0मि0-54/96-आयुष-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक,2- राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, लखनऊ द्वारा मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ ।
7- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in